-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.07.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

‘‘आँपरेशन ईगल’’ एक पहल

- **जनपद को नशा मुक्त बनाने तथा नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु शुरू किया गया ‘‘आँपरेशन ईगल’’। आपरेशन ईगल के तहत अवैध मादक पदार्थो की बिक्री करने वाले गिरोह की पूरी चेन पर की जायेगी कार्यवाही।**
- **क्षेत्राधिकारी अपराध, एस0ओ0जी0, सर्विलांस एवं लोकल थाना की इंटीग्रेटेड टीम आँपरेशन ईगल के तहत अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वालो पर करेगी कार्यवाही।**
- **अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले तथा उसमें किसी भी तरह से शामिल अभियुक्तों पर गैगेस्टर एवं पिट एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अवैध सम्पत्ति को किया जायेगा कुर्क साथ ही आँपरेशन कन्विक्शन के तहत नये कानून के प्रावधानो के अन्तर्गत दिलायी जायेगी कठोर सजा।**

विवरण: -मान0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 शासन द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही हेतु जारी किये गये आदेशो एवं निर्देशो के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर के मार्गदर्शन व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने तथा अवैध मदक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोहो पर कठोर कार्यवाही करने के उद्देश्य से ‘‘एक विशेष अभियान आँपरेशन ईगल’’ शुरू किया गया है। आँपरेशन ईगल के तहत न सिर्फ केवल जनपद में अवैध मादक पदार्थ लाकर बिक्री करने वाले गिरोहो पर बल्कि उनसे जुडी प्रत्येक कड़ी पर कार्यवाही की जायेगी। अवैध मादक पदार्थो की बिक्री करने वाले छोटे-छोटे अभियुक्त से लेकर तस्करी की चेन में ऊपर सप्लाई कर रहे अभियुक्तों के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जायेगी चाहे जनपद बांदा या उनके आस-पास के जनपदो में बैठे हो या अन्य किसी दूसरे राज्य में पुलिस अधीक्षक बांदा के निर्देशन में चलाये जा रहे आँपरेशन ईगल का उद्देश्य नशे के दलदल में फसते जा रहे जनपद के युवाओ को बाहर निकलाकर जनपद को नशा मुक्त बनाना तथा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोहो जड़ से खत्म करना है। अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी अपराध, एस0ओ0जी0, सर्विलांस एवं लोकल थानो को मिलाकर एक समर्पित टीम का गठन किया गया है जो वाँडीवार्न कैमरो तथा अन्य तकनीकि संशाधनो से युक्त रहेगी जो ऐसे अपराधो पर कार्यवाही करेगी। आँपरेशन के तहत जनपद में अवैध मादक पदार्थो की छोटे पैमाने पर बिक्री करने वाले अभियुक्तों के साथ-साथ उनसे जुडे अभियुक्तों जो अवैध मादक पदार्थो की सप्लाई करते है को कार्यवाही के दायरे में लाया जायेगा। बांदा पुलिस द्वारा पूर्व में की गयी कार्यवाही तथा आगे की जाने वाले कार्यवाही में जो भी भारी वाहन, लग्जरी गाड़ियां या अन्य वाहन बरामद होते है उनके मालिको की सम्पत्ति की जाँच करायी जायेगी। यदि गाड़ी के मालिक भी किराये की आड़ में नशे के कारोबार में शामिल तो नही है। नशे के कारोबार में शामिल प्रत्येक अभियुक्तों पर गैंगेस्टर एवं पिट एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी सम्पत्ति को कुर्क किया जायेगा। विभिन्न मामलो में वांछित चल रहे अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। नशे के कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों को नये कानून के प्रावधानो के प्रावधानो के अन्तर्गत आँपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलायी जायेगी साथ ही पूर्व में एन0डी0पी0एस0 के अभियुक्तों को पुलिस द्वारा रेड कार्ड भी जारी किया जा रहा है। अभियुक्तों के अपराध क्षेत्र की जानकारी कर कार्यवाही की जायेगी। अभियान की प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा तथा मासिक रूप से श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा द्वारा की जायेगी।

अभियुक्तों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही-

- वर्ष-2024 में अब तक एनडीपीएस अधिनियम के अन्तर्गत 45 अभियोग पंजीकृत कर 67 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है, जिनके कब्जे से कुल लगभग 1011 क्रि0ग्रा0 गांजा बरामद किया गया है। उक्त बरामद किये गये गांजा की अनुमानित कीमत 02 करोड़ 22 लाख रूपये है।
- अवैध मादक पदार्थ की बिक्री/तस्करी में संप्लित अभियुक्तों में से 12 अभियुक्तों के विरूद्ध गैगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
- जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने हेतु अपराध जगत से अर्जित की गयी कुल-14,94,36400 रूपये की चल एवं अचल सम्पत्ति को धारा-14(1) गैगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क कराया गया है।
- अपराधियों का संरक्षण प्रदान करने वाले संरक्षण दाताओ की कड़ी को जोड़कर उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति को पिट एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित कराकर कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

वर्ष-2024 में अबतक की गयी बड़ी कार्यवाही का विवरण

- थाना गिरवां क्षेत्रान्तर्गत दिनांक-04.01.2024 को 06 अभियुक्तो को गिर0 कर उनके कब्जे से 06 कुन्तल 20 कि0ग्रा0 गांजा एवं एक डी0सी0एम0 तथा एक बुलेरो गाड़ी बरामद की गयी।
- थाना अतर्रा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक-08.04.2024 को 04 अभियुक्तो की गिर0 कर उनके कब्जे से 60 किलोग्राम सूखा गांजा व 69 हजार रूपये ब्रिकी का रूपया एवं दो लगजरी चार पहिया वाहन को बरामद किया गया।
- थाना पैलानी क्षेत्रान्तर्गत दिनांक-13.04.2024 को 06 अभियुक्तों के कब्जे से 101 किलो सूखा गांजा व दो गाडी मारूती बैन व पिकअप बोलेरों बरामद की गयी।
- थाना कालिंजर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक-15.07.2024 को 05 अभियुक्तों के कब्जे से 02 प्लास्टिक की बोरी में 55 किलो 260 ग्राम सूखा गांजा नाजायज व 01 इनोवा क्रिस्टा गाडी नं0 यूपी-90 जी-8777 व मारूती स्विफ्ट डिजायर बरामद की गयी।